राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 13 / 2021
निर्णय दिनांक :– 31.03.2022

प्रार्थीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र मालाराम उम्र–44 वर्ष
2. जसाराम पुत्र मालाराम उम्र–38वर्ष

जातिगण–कुम्हार, निवासीगण–नाडोल, तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. नारायणलाल चौधरी पुत्र मूलाराम उम्र–50 वर्ष
2. मोहनलाल चौधरी पुत्र मूलाराम उम्र–48 वर्ष
3. पोनीदेवी पत्नि मूलाराम उम्र–70 वर्ष
4. सखाराम पुत्र मूलाराम उम्र–45 वर्ष
5. मानाराम पुत्र गेना उम्र– 72 वर्ष
   जातिगण–सिरवी निवासीगण–सोमावतों वाला बेरा, नाडोल, तहसील–देसूरी जिला–पाली राजस्थान
6. तहसीलदार देसूरी वास्ते राज.सरकार(भूमिधारी)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांक :– 31.03.2022

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान सरकार अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण अपने ने आवेदन के साथ ग्राम–नाडोल ... द्वितीय की खाता संख्या 775 की जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण ... सम्वत 2073 से 2076

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खाता संख्या नया 820 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नाडोल चक द्वितीय के खसरा नम्बर 3945/5815 रकबा 0.50 हेक्टर किस्म बा.दो., खसरा नम्बर 3948 रकबा 0.39 हेक्टर किस्म बा.दो., खसरा नम्बर 3949 रकबा 0.21 हेक्टर किस्म. बा.दो. एवं खसरा नम्बर 3950 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म बा.दो. कुल खसरे 04 कुल रकबा 1.30 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आने जाने के लिए(रास्ते की भूमि) 215 मीटर लम्बा एवं 04 मीटर चौडा रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3955 रकबा 1.1400 हेक्टर में से पूर्वी माट के किनारे-किनारे मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल मीणा ने वकालत नामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सख्यां 06 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2021/124 दिनांक 18.03.2021 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 28.07.2021 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुइ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थी 01 से 05 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आवागमन हेतु खसरा नम्बर 3955 रकबा 1.1400 हेक्टर मे से कभी रास्ता नहीं रहा है न ही उक्त कृषि भूमि में पुराने रास्ता के अलामात है। उत्तर दिशा की तरफ से रास्ता आज भी मौजूद है व उसी रास्ते से प्रार्थीगण आवागमन करते है।

प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या तीन के जवाब में बताया है कि प्राथीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट वर्णन किया है कि खसरा नम्बर 3941, 3938, 3935 गैर मुमकीन वाली है जिससे होकर प्रार्थीगण हमेशा आवगमन करते है एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा ग्राम नयागुडा की सरहद से लगती हुई है जिसमें भी प्रार्थीगण आवागमन करते है व मौके पर दरवाजा लगा हुआ है। नयागुडा की सरहद से भी प्रार्थीगण के रास्ते है इस प्रकार प्रार्थीगण के खातेदारी में आने जाने का रास्ता उत्तर व पश्चित दिशा में विद्यमान है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3955 में से अवागमन हेतु रास्ते की गई है जो मांग गलत है व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सख्या 06(भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा [illegible] राजस्व/कोर्ट/2021/610 दिनांक 28.07.2021 के जरिये [illegible] चक द्वितीय एवं भू-अभिलेख

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 13/2021 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम.............

निरीक्षक नाडोल से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम नाडोल चक द्वितीय की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 3945/5815, 3948, 3949 एवं 3950 कुल रकबा 1.30 हेक्टर किस्म बा. दो. में आवगमन के पडौस स्थित खसरा नम्बर 3955 रकबा 1.14 हेक्टर मे से पूर्वी माठ के किनारे–किनारे रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थीगण पूर्व में भी प्रस्तावित रास्ते से ही आना जाना करते थे व उक्त भूमि वर्तमान मे मौके पर खाली पडी है तथा किसी प्रकार का निर्माण किया हुआ नहीं है।
4. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 3955 रकबा 1.14 हेक्टर मे से 215 मीटर लम्बा एवं 04 मीटर चौडो जिसकी कुल क्षेत्रफल 215 x 4 = 860 वर्गमीटर भूमि बनता है जो दिया जाना उचित है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 419850/– रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 860 वर्गमीटर की राशि रूपये 36110/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 72220/– बनती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये अन्य रास्ते विद्यमान है। लेकिन उनका कोई विवरण उनके जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगणों की खातेदारी में से ही हैं अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम नाडोल चक द्वितीय के खसरा नम्बर 3945/5815, 3948, 3949 एवं 3950 कुल रकबा 1.30 हेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (4) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 13/2021 अनवान भागीलाल व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम.............

किस्म बा.दो. भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण की मांग अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 05 की निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3955 रकबा 1.14 हेक्टर में से पूर्वी दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे 215 मीटर लम्बा एवं 04 मीटर चौडा कुल रकबा 215 x 4 = 860 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है इस हेतु प्रार्थी को 72220/– रूपये का अनुदान भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को करना होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से 215 मीटर लम्बे एवं 04 मीटर चौडे कुल रकबा 215 x 4 = 860 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 72220/– प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को दिलवाया जावे। प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि ग्राम नाडोल चक द्वितीय खसरा नम्बर 3945/5815, 3948, 3949 एवं 3950 कुल रकबा 1.30 हेक्टर किस्म बा.दो. आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय, 05 की निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3955 रकबा 1.14 हेक्टर में से पूर्वी दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर 215 मीटर लम्बा एवं 04 मीटर चौडा कुल रकबा 215 x 4 = 860 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को सुपुर्द होने के बाद रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested